न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्षमण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 27/2021

इकबाल पुत्र स्व0 रसुल खां, जाति कायमखानी मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 44 मौहल्ला खौरा, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. असगर पुत्र स्व. रसुल खां
2. खुर्शीद पुत्र स्व. रसुल खां
3. जमीला पुत्री स्व. रसुल खां

   जाति कायमखानी मुसलमान, निवासीगण वार्ड नं0 44, मौहल्ला खौरा, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. जुबेदा पत्नि स्व0 रसीद
5. आरीफ पुत्र स्व0 रसीद
6. कासम पुत्र स्व0 रसीद
7. जरीना पुत्री स्व0 रसीद
8. बिलकेश पुत्री स्व0 रसीद
9. उम्मेद पुत्र स्व0 युसुफ
10. फरीदा पत्नि स्व0 अयुब
11. समीर खां पुत्र स्व0 अयुब
12. इमरान पुत्र स्व0 अयुब

    जाति कायमखानी मुसलमान, निवासीगण वार्ड नं0 44, मौहल्ला खौरा, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
13. तहसीलदार झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 4323 दिनांकित 21.10.2020

———

1. श्री कमल कुमार शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. मो0 फारूक खान, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 13 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 लगायत 12 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 30.03.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 02.02.2008 भूमि ग्राम नूआं के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या

4323 दिनांक 21.10.2020 विरूद्ध कानून एवं नियमावली एवं राजस्व विधि के विपरीत हैं। अपीलान्ट के पिता के पैतृक खेत खसरा नम्बर 1086, 1095, 1096, 1097, 1099, 1101, 1102 कुल किता 8 कुल रकबा 10.37 हैक्टर, कृषि भूमि वाके कस्बा झुंझुनूं पटवार हल्का झुंझुनूं में अपीलान्ट एवम रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 के शामलाती हक हिस्से खातेदारी की भूमि रही है। अपीलान्ट के पिता रसूल खां की मृत्यु होने पर जरीबन पत्नी रसुल खां, असगर, खुर्शीद, जमीला, रसीद, युसुफ, इकबाल के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ तत्पश्चात दिनांक 10.06.1996 को रसुल खां की पत्नी जरीबन का भी देहान्त हो गया। कानून के हिसाब से जरीबन के भी मृत्यु होने पर उसके हक हिस्से की भूमि बाबत जरीबन का नाम हटकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को प्राप्त होनी चाहिए थी, किन्तु दिनांक 21.10.2020 को रसुल खां के पुत्र असगर, खुर्शीद, जमीला ने पार्षद व पटवारी हल्का से मिलकर फर्जी वारिसनामा व शपथ पत्र के आधार पर बिना किसी जांच एवं अनुज्ञा के पटवारी हल्का ने उक्त इंतकाल असगर, खुर्शीद, व जमीला के नाम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का भी शामलाती अविभाज्य हक हिस्सा, कब्जा अधिकार रहा है। स्व. रसुल खा की वंशावली निम्न प्रकार है :–

रसुल खां (फौत) जरीबन (पत्नी)(फौत)					
इकबाल (पुत्र)	रसीद (पुत्र)	युसुफ (पुत्र)	असगर (पुत्र)	खुर्शीद (पुत्र)	जमीला (पुत्री)

उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 में कोई विधिवत बंटवारा आज तक नही हुआ हैं। पटवारी हल्का को इन्तकाल संख्या 4323 की प्रविष्टियां दर्ज करते समय भूमि के संबंध में कब्जे काश्त के बारे में आवश्यक जांच पडताल करनी चाहिए थी तथा भूमि के आस पडौसियो से भी पूछताछ करनी चाहिए थी इसके अलावा रसूल खां के वारिसान के हक हिस्से में कितनी–कितनी भूमि आनी चाहिए थी विधिक राय लेकर ही इन्तकाल दर्ज करना चाहिए था। कानून के अनुसार जरीबन पत्नी रसूल खां कायमखानी के 1086, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102 कुल किता 8 कुल रकबा 10.37 हैक्टर में 1/12 हक हिस्सा दर्ज था जो उसकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अलावा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के नाम भी तस्दीक होना चाहिए था कानून के हिसाब से जरीबन की मृत्यु होने के उपरान्त जरीबन के हक हिस्से की भूमि वारिसानों को बराबर मिलनी चाहिए थी या फिर जरीबन का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर उसके वारिसान का हक हिस्सा बढकर दर्ज होना चाहिए था किन्तु पटवारी हल्का ने पार्षद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सजरा को ही आधार मानकर विधि विरूद्ध उक्त इन्तकाल दर्ज किया है। मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक खातेदार के पुत्र पुत्रियो में समान रूप से उत्तराधिकार न्याय संगत नही होता है बल्कि पुत्री का हिस्सा पुत्र से कम होता हैं इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जमीला हिस्सा 1/36, असगर 1/36, खुर्शीद 1/36 गलत रूप से इन्तकाल में दर्ज किया गया है। उक्त इंतकाल भरने व तस्दीक करने से पूर्व पटवारी हल्का व तहसीलदार झुंझुनूं को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था और इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं ऑपन रूप से निष्पादित करनी चाहिए थी जबकि पटवारी हल्का [illegible] के समस्त वारिसानो को सुनवाई का समुचित अवसर न देकर मनमाने [illegible] इंतकाल [illegible] है। जरीबन की मृत्यु दिनांक 10.06.1996 को हो चुकी थी किन्तु पटवारी हल्का ने [illegible] इन्तकाल दर्ज न करके करीब 14–15 वर्ष पश्चात काफी विलम्ब से [illegible] प्रविष्ठियां भरकर दिनांक 23.10.2020 को इंतकाल भरकर तस्दीक कर दिया जबकि पटवारी हल्का को इतने वर्ष पश्चात उक्त इंतकाल दर्ज करने का कोई कानूनी प्राधिकार प्राप्त नही था विलम्ब से इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सक्षम राजस्व अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक था किन्तु पटवारी हल्का ने जल्दबाजी में विधि विरूद्ध एवं राजस्व नियमो की अनदेखी कर उक्त इन्तकाल दर्ज करने में एवं तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा तस्दीक किये जाने में भारी भूल की है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त इंतकाल दर्ज करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:46 IST
Reason: SelfAttested

समय पार्षद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सजरे को आधार बनाया गया था उक्त समस्त दस्तावेज में मृतक रसूल खां के समस्त वारिसान का नाम जरूरी था और समस्त वारिसान के नाम छिपाकर गलत रूप से तैयार एवं जाली दस्तावेजात के आधार पर उक्त इन्तकाल दर्ज किया गया जो आवश्यक रूप से निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेशकर निवेदन है कि यह अपील बहस अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार झुझुनू द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 4323 दिनांकित 21.10.2020 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के पिता के पैतृक खेत खसरा नम्बर 1086, 1095, 1096, 1097, 1099, 1101, 1102 कुल किता 8 कुल रकबा 10.37 हैक्टर, कृषि भूमि वाके कस्बा झुंझुनूं पटवार हल्का झुंझुनूं में अपीलान्ट एवम रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 के शामलाती हक हिस्से खातेदारी की भूमि रही है। अपीलान्ट के पिता रसूल खां की मृत्यु होने पर जरीबन पत्नी रसुल खां, असगर, खुर्शीद, जमीला, रसीद, युसुफ, इकबाल के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ तत्पश्चात दिनांक 10.06.1996 को रसुल खां की पत्नी जरीबन का भी देहान्त हो गया। कानून के हिसाब से जरीबन के भी मृत्यु होने पर उसके हक हिस्से की भूमि बाबत जरीबन का नाम हटकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को प्राप्त होनी चाहिए थी, किन्तु दिनांक 21.10.2020 को रसुल खां के पुत्र असगर, खुर्शीद, जमीला ने पार्षद व पटवारी हल्का से मिलकर फर्जी वारिसनामा व शपथ पत्र के आधार पर बिना किसी जांच एवं अनुज्ञा के पटवारी हल्का ने उक्त इंतकाल असगर, खुर्शीद, व जमीला के नाम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का भी शामलाती अविभाज्य हक हिस्सा, कब्जा अधिकार रहा है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 में कोई विधिवत बंटवारा आज तक नही हुआ हैं। पटवारी हल्का को इन्तकाल संख्या 4323 की प्रविष्टियां दर्ज करते समय भूमि के संबंध में कब्जे काश्त के बारे में आवश्यक जांच पडताल करनी चाहिए थी तथा भूमि के आस पडौसियो से भी पूछताछ करनी चाहिए थी इसके अलावा रसूल खां के वारिसान के हक हिस्से में कितनी-कितनी भूमि आनी चाहिए थी विधिक राय लेकर ही इन्तकाल दर्ज करना चाहिए था। कानून के अनुसार जरीबन पत्नी रसूल खां कायमखानी के 1086, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102 कुल किता 8 कुल रकबा 10.37 हैक्टर में 1/12 हक हिस्सा दर्ज था जो उसकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अलावा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के नाम भी तस्दीक होना चाहिए था कानून के हिसाब से जरीबन की मृत्यु होने के उपरान्त जरीबन के हक हिस्से की भूमि वारिसानों को बराबर मिलनी चाहिए थी या फिर जरीबन का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर उसके वारिसान का हक हिस्सा बढकर दर्ज होना चाहिए था किन्तु पटवारी हल्का ने पार्षद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सजरा को ही आधार मानकर विधि विरूद्ध उक्त इन्तकाल दर्ज किया है। मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक खातेदार के पुत्र पुत्रियो में समान रूप से उत्तराधिकार न्याय संगत नही होता है बल्कि पुत्री का हिस्सा पुत्र से कम होता हैं इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जमीला हिस्सा 1/36, असगर 1/36, खुर्शीद 1/36 गलत रूप से इन्तकाल में दर्ज किया गया है। उक्त [illegible] से पूर्व पटवारी हल्का व तहसीलदार झुंझुनूं को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था और इंतकाल [illegible] रूप से निष्पादित करनी चाहिए थी जबकि पटवारी हल्का [illegible] रसूल खां के स[illegible] वारिसानो को सुनवाई का समुचित अवसर न देकर मनमाने ढंग से इन्तका[illegible] की मृत्यु दिनांक 10.06.1996 को हो चुकी थी किन्तु पटवारी हल्का ने उस समय इन्तकाल [illegible] न करके करीब 14-15 वर्ष पश्चात काफी विलम्ब से दिनांक 21.10.2020 को प्रविष्ठियां भरकर दिनांक 23.10.2020 को इंतकाल भरकर तस्दीक कर दिया जबकि पटवारी हल्का को इतने वर्ष पश्चात उक्त इंतकाल दर्ज करने का कोई कानूनी प्राधिकार प्राप्त नही था विलम्ब से इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सक्षम राजस्व अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक था किन्तु पटवारी हल्का ने जल्दबाजी में विधि विरूद्ध एवं राजस्व नियमो की अनदेखी कर उक्त इन्तकाल दर्ज करने में एवं तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा तस्दीक किये जाने में भारी भूल की है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त इंतकाल दर्ज करते समय पार्षद द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:46 IST
Reason: SelfAttested

जारी वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सजरे को आधार बनाया गया था उक्त समस्त दस्तावेज में मृतक रसूल खां के समस्त वारिसान का नाम जरूरी था और समस्त वारिसान के नाम छिपाकर गलत रूप से तैयार एवं जाली दस्तावेजात के आधार पर उक्त इन्तकाल दर्ज किया गया जो आवश्यक रूप से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार झुझुनू द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 4323 दिनांकित 21.10.2020 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के पिता रसूल खां की पहली पत्नि सायरा के 3 सन्तानें थी एवं उक्त सायरा की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के पिता रसूल खां ने जरीबन से दूसरी शादी कर ली। उक्त जरीबन के भी 3 सन्ताने थी। जब अपीलान्ट के पिता का देहान्त हुआ तो 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण सायरा की 3 सन्तानों एवं 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण जरीबन व उसकी 3 सन्तानों के नाम दर्ज हुआ था जो सही था। परन्तु अब जब जरीबन की मृत्यु हुई तो उसका नामान्तरकरण जरीबन की 3 सन्तानों के नाम ही दर्ज होना चाहिए। जरीबन की मृत्यु पर उसके हिस्से की जमीन पर सायरा के पुत्रों का कोई हक नही बनता है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन है और मिथ्या तथ्यों पर दर्ज की गई है। अदालत मातहत का निर्णय विधि के अनुसार सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, वारिस प्रमाण पत्र एवं सजरे के आधार पर नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 का यह कथन उचित है कि अपीलान्ट के पिता रसूल खां की पहली पत्नि सायरा के 3 सन्तानें थी एवं उक्त सायरा की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के पिता रसूल खां ने जरीबन से दूसरी शादी कर ली। उक्त जरीबन के भी 3 सन्ताने थी। जब अपीलान्ट के पिता का देहान्त हुआ तो 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण सायरा की 3 सन्तानों एवं 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण जरीबन व उसकी 3 सन्तानों के नाम दर्ज हुआ था जो सही था। परन्तु अब जब जरीबन की मृत्यु हुई तो उसका नामान्तरकरण जरीबन की 3 सन्तानों के नाम ही दर्ज होना चाहिए। जरीबन की मृत्यु पर उसके हिस्से की जमीन पर सायरा के पुत्रों का कोई हक नही बनता है। हम अपीलान्ट की अपील को सारहीन मानते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:46 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं